जनपद प्रयागराज में विद्युत लाईनों के संचालन हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुशल-948, अकुशल-1534 मिलाकर कुल-2482 कार्मिक कार्यरत हैं।
कुशल कार्मिक को मासिक रू0 11743.00 एवं अकुशल कर्मी को मासिक रू0 9,530.00 प्रतिमाह की दर से आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से माह अप्रैल, 2022 से भुगतान दिया जा रहा है।
माह अप्रैल, 2022 तक का भुगतान किया जा चुका है।
विद्युत दुर्घटनाग्रस्त कर्मी को आउटसोर्सिंग एजेन्सी के द्वारा बीमा एवं चिकित्सा लाभ दिया जाता है।
आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से नियोजित कार्मिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प्राविधानों के अनुसार चिकित्सीय सुविधा अनुमन्य है। जिन जिलो में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प्राविधान लागू नही है उन जिलो मे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम-1923 के प्राविधानो के अन्तर्गत चिकित्सीय लाभ एवं क्षतिपूर्ति अनुमन्य है। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम-1952 के प्राविधानो के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना-1952 मे संचित धनराशि, कर्मचारी निक्षेप, सहबद्ध बीमा योजना-1976 के प्राविधानो के अन्तर्गत बीमा धनराशि एवं कर्मचारी पेंशन योजना-1995 के प्राविधानो के अन्तर्गत विधवा एवं बच्चों हेतु हितलाभ अनुमन्य है। आउटसोर्स कार्मिकों को विभागीय कार्य करते समय विद्युत दुर्घटना मे मृत्यु होने पर सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से अनुग्रह धनराशि रूपये 05 लाख अनुमन्य है।
प्रश्न नहीं उठता।

ए0 के0 शर्मा

ऊर्जा मंत्री